

हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई०एस०ओ 9001 -2008 द्वारा प्रमाणित संस्थान)

प्रेषक :-

सचिव

हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड.

भिवानी !

सेवा में

PRINCIPAL,

SWAMI VIVEKANAND SR SEC SCHOOL

ARNIANWALI DISTRICT- SIRSA

No. 17583/SR SEC/SI/AffI/2010-11


DATE:-19-10-10

महोदय / महोदया,

आपकी संस्था को **सीनियर सैकेंडरी** कक्षा तक निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा आदेश क्रमांक नं० 12/128-08 PS (3) दिनांक 22-03-2010 द्वारा दी गई स्थायी मान्यता के आधार पर स्थायी सम्बद्धता बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड / शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा अनुमोदित पुस्तके ही पढाई जायें ।
2. संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपने स्कूल का भवन/ फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवाएंगे । बोर्ड द्वारा उन्हें भवन / फर्नीचर का किराया आदि नहीं दिया जाएगा।
3. बोर्ड द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय - समय पर जारी किये जाते है संस्था उनकी दृढ़ता से पालन करेगी ।
4. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड का पूर्ण सहयोग देंगे जिससे नकल/ प्रतिरूपण मामलों एवं अन्य अनियमिततायों पर पूर्ण नियंत्रण किया जा सके ।
5. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित मुक्त विद्यालय परीक्षा एवं इस से सम्बन्धित अध्ययन केंद्र को संचालित करने में पूर्ण सहयोग देगी ।
6. संस्था द्वारा हरियाणा एजुकेशन कोड की धारा 28 क्रम संख्या 1 से 21 के अनुसार सभी प्रकार का तरीका एवं रजिस्टर तैयार करने कि पालना की जायेगी ।
7. संस्था में कार्यरत स्टाफ की नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हो ।
8. परीक्षार्थी का विद्यालय में बैठने का समुचित प्रबंध करना होगा ।
9. संस्था में पढाये जाने वाले विज्ञान विषयो के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला तथा वांछित उपकरणों का पूरा प्रबंध होना चाहिए एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित विज्ञान प्रयोगिक पुस्तिका ही विद्यार्थियों को लगवाई जाए ।
10. बोर्ड द्वारा संबद्धता प्रदान करने के पश्चात कभी भी विद्यालय का निरिक्षण किया जा सकता है । उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णय भी आपकी संस्था पर लागू होंगे तथा आपकी संस्था द्वारा इनकी पालना की जाएगी । यदि किसी समय ये पाया गया कि प्रबन्धक/ विद्यालय/महाविद्यालय सम्बद्धता सम्बन्धी शर्तों का उलंघन कर रहे है तो सम्बद्धता विनियमों के अंतर्गत सम्बद्धता वापिस ले ली जाएगी

भवदीय



अधीक्षक (सम्बद्धता)

कृत: सचिव